बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 146142 पटना, दिनांक 18/04/2013

ग्रा.वि.9(ई.)-04/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय :- **मई दिवस के अवसर पर 01 मई से 04 मई 2013 तक महादलित वर्ग के इच्छुक परिवारों के मॉग सृजन के संबंध में विशेष अभियान ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में उक्त अवधि में महादलित वर्ग के इच्छुक परिवारों के मॉग सृजन के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके अच्छे परिणाम आये थे । उक्त अभियान में राज्य में कुल 3,47,671 परिवारों ने कार्य की मॉग की, जिन्हें कालान्तर में कार्य दिए गए ।

2. इस अच्छे प्रयास को आगे जारी रखने के दृष्टिकोण से इस वर्ष में भी मॉग सृजन का उक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार अनुरोध है कि प्रभावी तरीके से मॉग सृजन का अभियान चलाया जाय ।

3. इस संबंध में निम्नवत अग्रेतर दिशानिर्देश दिए जाते हैं :-

(i) पंचायत रोजगार सेवक का यह दायित्व होगा कि वे अपने पंचायत अंतर्गत हर महादलित टोले में व्यक्तिगत रूप से जाएंगे । वे पंचायत के हर महादलित परिवार से व्यक्तिगत सम्पर्क करेंगे । जो परिवार काम की मॉग करते हैं, उनसे लिखित रूप से मॉग का आवेदन पत्र लिया जाएगा और पूरे 100 दिन की मॉग का सृजन किया जाएगा । जो परिवार काम की मॉग नहीं करते हैं,

उनसे लिखित रूप से अनिच्छा प्रमाण पत्र (प्रपत्र संलग्न) लेकर अभिलेख में रखा जाएगा ।

(ii) पंचायत रोजगार सेवक वसुधा केन्द्र के प्रभारी को यथासंभव अपने साथ रखेंगे ताकि प्राप्त होने वाली मॉग को MIS पर भी अपलोड किया जा सके ।

(iii) पंचायत रोजगार सेवक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अनिवार्य रूप से प्राप्ति रसीद आवेदक को दें ।

(iv) इस प्रक्रिया में यदि ऐसा कोई परिवार मिलता है, जिनके पास जॉबकार्ड नहीं हो, तो उन्हें जॉबकार्ड निर्गत करने के लिए भी आवेदन पत्र लिया जाएगा और विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए इसी अवधि में उन्हें जॉबकार्ड निर्गत कर दिया जाएगा । साथ ही मॉग भी सृजित की जाएगी ।

(v) यह अभियान 01 मई से 04 मई तक चलेगा ।

4. सभी पंचायत रोजगार सेवक निम्नलिखित प्रपत्र में इस अभियान का प्रतिवेदन कार्यक्रम पदाधिकारी को देंगे :-

क्र.सं.	पंचायत का नाम	महादलित टोले का नाम	सम्पर्क किए गए परिवारों की संख्या	कार्य की मॉग करने वाले परिवारों की संख्या	मॉग किए गए कार्य दिवसों की कुल संख्या	कार्य की मॉग नहीं करके अनिच्छा प्रमाण पत्र देने वाले परिवारों की संख्या	MIS काम के मांग पर प्रविष्टि की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. सभी प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी इस अभियान की प्रगति की समीक्षा दिनांक 10.05.2013 को प्रखंड स्तर पर पंचायत रोजगार सेवकों की बैठक आयोजित करके करेंगे एवं प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे । वे निम्नवत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :-

(i) सभी पंचायत रोजगार सेवकों ने अनिवार्य रूप से हर महादलित परिवार से सम्पर्क किया है ।

(ii) जो भी मॉग सृजित हुई है, उसकी MIS पर प्रविष्टि कर दी गयी है ।

(iii) जिन परिवारों ने अनिच्छा प्रमाण पत्र दी है, उनकी अनिच्छा प्रमाण पत्र अभिलेख में उपलब्ध है ।

7. जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त के स्तर पर सभी कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ एक समीक्षा बैठक दिनांक 17.05.2013 के पूर्वाह्न में करेंगे तथा समीक्षा बैठक के आधार पर उप विकास आयुक्त जिले का एक समेकित प्रतिवेदन तैयार करेंगे । 17.05.2013 के अपराह्न में 3:00 बजे से 5:00 बजे के बीच विडियो कॉफ्रेंस होगी, जिसमें उप विकास आयुक्त एवं सभी कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित होंगे, जिसमें अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी ।

8. प्रगति की समीक्षा के उपरांत अगले सप्ताह पड़ने वाले बुधवार दिनांक 22.05.2013 को मनरेगा जॉच दिवस अभियान में जिलों से जाने वाले वरीय उप समाहर्ताओं के द्वारा औचक रूप से इस अभियान की सफलता के लिए पंचायत रोजगार सेवकों / कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी । इनके द्वारा मूल रूप से निम्न बिन्दुओं पर सरजमींन की स्थिति का आकलन किया जाएगा :-

(i) क्या पंचायत रोजगार सेवक ने हर परिवार से सम्पर्क किया है?

(ii) क्या परिवारों से सम्पर्क करके उनके मॉग Capture की है या अनिच्छा प्रमाण पत्र लिया है?

(iii) क्या जिनको जॉबकार्ड की आवश्यकता थी, उनको जॉबकार्ड निर्गत किया गया है?

8. जिन मामलों में निरीक्षी पदाधिकारी यह महसूस करते हैं कि पंचायत रोजगार सेवक / कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरती है, उन मामलों में पंचायत रोजगार सेवकों / कार्यक्रम पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी करके, उनका पक्ष सुनकर, पदमुक्त करने की कार्रवाई की जाय ।

9. **राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है कि महादलित वर्ग के परिवारों से Pro-active सम्पर्क करके यदि वे मनरेगा में काम करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाय** ।

10. जिला कार्यक्रम समन्वयकों की यह निजी जिम्मेदारी होगी कि सरकार के इस स्पष्ट दिशानिर्देश का शत-प्रतिशत पालन करेंगे ।

11. आप अवगत होंगे कि राज्य स्तर पर State Quality Monitors का पैनल तैयार किया गया है । उक्त मनरेगा दिवस जॉच अभियान के उपरांत जिलों से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन के बाद राज्य स्तर से State Quality Monitors को प्रतिनियुक्त करके औचक आधार पर इस दिशानिर्देश के अनुपालन की समीक्षा करायी जाएगी एवं तदोपरांत राय बनायी जाएगी ।

विश्वासभाजन

17.4.13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव

अनिच्छा आवेदन पत्र का प्रपत्र

मैं ...., पिता/ पति ...., जाब कार्ड संख्या ...., जो ग्राम ...., पंचायत ...., प्रखंड ...., जिला .... का निवासी हूं, यह वक्तव्य देता हूं कि पंचायत रोजगार सेवक द्वारा मुझे मनरेगा में काम के अधिकार के संबंध में सारी जानकारी दी गयी है, परंतु मैं मनरेगा अन्तर्गत काम करने का इच्छुक नहीं हूं । (उपरोक्त लिखी बातें मुझे पढ़कर सुना दी गयी है तथा मैने सब समझ कर अंगुठा का निशान बनाया है)

(परिवार के व्यस्क सदस्य का हस्ताक्षर/ अंगुठा का निशान)
जाब कार्ड संख्या ....

गवाह का हस्ताक्षर

1. .... (.........नाम...........). जाबकार्ड संख्या..........................
2. .... (.........नाम...........). जाबकार्ड संख्या..........................

(पंचायत रोजगार सेवक का हस्ताक्षर